

फरीदाबाद

मजदूर समाचार

हमारा प्रयास 'मजदूर समाचार' की महीने में 7000 प्रतियाँ फ्री बाँटने का है। इच्छा अनुसार रुपये-पैसे के योगदान का स्वागत है।

डाक पता : मजदूर लाइब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी.
फरीदाबाद - 121001

राहें तलाशनेबनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 257

1/-

नवम्बर 2009

गोरखपुर और गुड़गाँव : कुछ प्रश्न

प्रश्नों को स्पष्ट करने के प्रयास में यहाँ कारखानों की, फैक्ट्रियों की ही बात करेंगे। फरीदाबाद, ओखला (दिल्ली), गुड़गाँव में फैक्ट्रियों में काम करते 70-75 प्रतिशत मजदूर "अदृश्य" हैं। कारखानों में काम कर रहे तीन चौथाई मजदूर कम्पनियों तथा सरकार के दस्तावेजों के अनुसार फैक्ट्रियों में होते ही नहीं। "ई.एस.आई. नहीं" का अर्थ यह है। अस्सी-पिचासी प्रतिशत फैक्ट्री मजदूरों को दिल्ली व हरियाणा सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाते। फैक्ट्रियों में मजदूरों द्वारा 12 घण्टे प्रतिदिन कार्य करना सामान्य है। और, 98-99% "अतिरिक्त समय" उर्फ ओवर टाइम दिखाया नहीं जाता तथा भुगतान दुगुनी दर की बजाय सिंगल रेट से किया जाता है। भारत सरकार के नियन्त्रण वाले अन्य क्षेत्रों में स्थिति उपरोक्त से भिन्न नहीं है। यहाँ 15 अगस्त 1947 को फैक्ट्री मजदूरों के निवास का प्रबन्ध करने से सरकार स्वतन्त्र हुई।

★ **रीको ऑटो इन्डस्ट्रीज**, 38 किलोमीटर दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, गुड़गाँव स्थित फैक्ट्री के एक स्थाई मजदूर से बातचीत के आधार पर : बड़ी फैक्ट्री है। लोहे तथा अल्युमिनियम की ढलाई के बाद मशीनिंग द्वारा वाहनों के अनेक पुर्जे बनते हैं। लुधियाना, धारुहेड़ा, मानेसर में भी कम्पनी की फैक्ट्रियाँ हैं। रीको ऑटो, कॉन्टिनेन्टल रीको, मैग्ना रीको, एफ सी सी रीको..... में हीरो होण्डा, मारुति सुजुकी, होण्डा, फोर्ड, जनरल मोटर आदि का काम होता है। खड़े-खड़े काम और 8½ घण्टे ड्युटी के बाद जबरन रोक लेते हैं। साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी ए-शिफ्ट वालों की जबरन ड्युटी। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। निर्धारित उत्पादन बढ़ाते रहते हैं और पूरा नहीं करने पर रोज चिक-चिक से दुखी करते हैं। तनखा 5500 बताते हैं तो देते 4200 हैं। बेसिक बहुत कम और भाँति-भाँति के भत्ते। एल टी ए तथा बोनस के पैसे हर महीने तनखा से काट कर वर्ष में देते हैं। कैंटीन में अधिक पैसों में घटिया भोजन। यातायात का प्रबन्ध नहीं। चक्कर काट कर थक जाते हैं, स्थाई मजदूरों में भी बहुतों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। ऐसे में स्थाई मजदूर नौकरी छोड़ते रहते हैं, नये स्थाई होते रहते हैं - आई टी आई और बी. एस.सी./एम.एस.सी. को ट्रेनी रखते हैं। स्थाई मजदूर दो-ढाई हजार। तीन ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूर भी इतने होंगे, उनके बारे में पता नहीं..... परेशानियों से पार पाने के लिये स्थाई मजदूरों ने एक-एक हजार रुपये दिये, बीस लाख रुपये एकत्र किये और एक यूनियन से जुड़े। यूनियन का बड़ा नेता मुख्य मन्त्री-प्रधान मन्त्री से बात करता है। अगस्त से हलचलें बढ़ी। कम्पनी ने 21 सितम्बर को 16 स्थाई मजदूर निलम्बित किये तो कोई स्थाई मजदूर अन्दर नहीं गया..... ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूर भी बाहर रहे। जोश। भोजन पकाना, फैक्ट्री गेटों पर बैठना, भाषण देने आते नेता। कम्पनी द्वारा नई भर्ती, उत्पादन जारी, माल का आना-जाना जारी। धारा 144, गेटों से

50 मीटर दूर, पुलिस टैन्ट-दरी ले गई। गिरफ्तारी और जमानत। सनबीम और रीको फैक्ट्रियों में यूनियन के समर्थन में कई यूनियनों द्वारा मिल कर 25 सितम्बर को बड़ी सभा। कम्पनी की अन्य फैक्ट्रियों में सामान्य उत्पादन। बीतते समय और दिवाली के कारण फैक्ट्री के बाहर कम मजदूर - 18 अक्टूबर को कम्पनी ने हमला करवाया जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई और कई घायल हुये। यूनियनों द्वारा 20 अक्टूबर को 60 फैक्ट्रियों में हड़ताल, 80-90 हजार मजदूरों ने काम नहीं किया। तीन रोज फैक्ट्री में काम बन्द रहा, एक साहब की पिटाई। नेताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग बन्द नहीं करने दिया। कम्पनी ने मृत मजदूर के परिवार को 5-10 लाख रुपये दिये। हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं। मुख्य मन्त्री ने श्रम विभाग के जरिये मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच समझौता वार्तायें 22 अक्टूबर से आरम्भ करवाई। कम्पनी द्वारा 23 अक्टूबर से नये लोगों के जरिये फैक्ट्री में पुनः उत्पादन आरम्भ। वार्तायें जारी हैं। नेता सब-कुछ अपने तक ही रख रहे हैं, इस बार मजदूरों को कुछ बता नहीं रहे क्योंकि..... 1998 में यूनियन बनाने की कोशिश हुई थी तब नेता बिक गया था। माँग-पत्र में क्या है, शर्तें क्या हैं हमें पता नहीं..... फैक्ट्री में उत्पादन जारी है। कम्पनी पर दबाव कम होता जा रहा है। वार्तायें जारी हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे इधर-उधर हो गये, हम स्थाई मजदूर कहाँ जायें? हताशा, भरे बैठे हैं, भड़के हुये हैं, इस हफ्ते कुछ न कुछ..... यूनियन 2 नवम्बर से क्रमिक भूख हड़ताल करवा रही है।

★ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बरगदवा औद्योगिक क्षेत्र में 15 जून को अंकुर उद्योग के 600 मजदूरों ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन आदि के लिए काम बन्द किया। इसीलिये एक अन्य फैक्ट्री वी एन डायर्स के 300 मजदूरों ने 23 जून को तथा वी एन कपड़ा मिल के 300 मजदूरों ने 28 जून को काम बन्द किया। समझौते के बाद 13 जुलाई को इन तीन कारखानों में काम

आरम्भ हुआ। क्षेत्र में 'संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा' बना। मॉडर्न लेमिनेटर्स और मॉडर्न पैकेजिंग के एक हजार मजदूरों ने 3 अगस्त को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, ई.एस. आई. आदि की माँग श्रम विभाग में की। दस दौर की वार्तायें - 21 अगस्त की वार्ता के बाद रात को कम्पनी ने मजदूरों के लिये गेट बन्द कर दिये। मजदूर गेट पर। रात 10 बजे शिफ्ट छूटने पर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर भी वहाँ एकत्र होते। कचहरी परिसर में 11 सितम्बर को सैकड़ों मजदूरों ने डेरा डाल कर भोजन बनाना आरम्भ किया। प्रशासन में हलचल। लिखित समझौते का आश्वासन। श्रम उपायुक्त के यहाँ मैनेजमेन्ट द्वारा न्यूनतम वेतन देने से साफ इनकार और "गैरकानूनी हड़ताल" बताती आई कम्पनी ने 13 सितम्बर को तालाबन्दी की सूचना टाँगी। अनेक फैक्ट्रियों के मजदूरों द्वारा 14 सितम्बर को प्रदर्शन कर कानून की किताबें जलाना। दस दिन का आश्वासन। निर्धारित दिन, 23 सितम्बर को वार्ता के लिये प्रशासन तथा कम्पनी उपस्थित नहीं हुये..... सैकड़ों मजदूर पाँच मील पैदल चल कर जिलाधिकारी कार्यालय पर भोजन बनाने की तैयारी करने लगे..... 24 सितम्बर को समझौता। लेकिन... 25 सितम्बर को ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों तथा अन्य 18 अधिक सक्रिय मजदूरों को काम पर लेने से इनकार। सब मजदूर गेट रोक कर बैठ गये। पुलिस, सशस्त्र पुलिस। समझौता। फिर पालन नहीं। जिलाधिकारी कार्यालय पर 14 अक्टूबर को अनशन - जबरन हटाया। बातचीत के लिये बुला कर प्रशासन ने 15 अक्टूबर को आन्दोलन में अत्याधिक सक्रिय चार लोगों की पिटाई कर जेल में डाल दिया। चौतरफा विरोध..... 21 अक्टूबर से गोरखपुर में नागरिक सत्याग्रह की घोषणा। पाँच फैक्ट्रियों में मजदूरों द्वारा 20 अक्टूबर को हड़ताल, अगले दिन दो और फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल में शामिल। प्रशासन ने 4 गिरफ्तार लोगों को 21 अक्टूबर की रात को रिहा (बाकी पेज चार पर)

कानून है शोषण के लिये, छूट है कानून से परे शोषण की

स्काईटोन इलेक्ट्रीकल्स मजदूर : " 42-43 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फ़ैक्ट्री में दो ठेकेदारों के जरिये रखे 200 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में। तनखा 3200-3500 रुपये और ओवर टाइम सिंगल रेट से। सितम्बर की तनखा 12 अक्टूबर तक नहीं दी तो दिन की शिफ्ट वाले 12 घण्टे रुकने की बजाय 8 घण्टे पूरे होने पर साँय 4 बजे बाहर आ गये। चुनाव की छुट्टी के बाद, 14 अक्टूबर को मजदूरों ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन माँगा तो साफ मना कर दिया। इस पर दोपहर 12 बजे 75 मजदूर श्रम विभाग गये। एक ठेकेदार भाग गया। मजदूरों को 3914 रुपये तनखा दी गई। " **मल्टीटेक प्रोडक्ट्स श्रमिक :** " 20/3 मथुरा रोड़ पर नोरदर्न कम्पलैक्स में प्लॉट 4 स्थित फ़ैक्ट्री में हैल्पर्स की तनखा 2500-2800 और प्रेस ऑपरेटरों की 3200-3500 रुपये। शिफ्ट 12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम। ढाई सौ मजदूरों में 10-15 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.। हाथ कटने पर एन एच 5 में एक नर्सिंग होम में उपचार। फ़ैक्ट्री में **यामाहा, मारुति सुजुकी, वीडियोकॉन** का काम होता है। मैनेजर गाली देता है। शौचालय गन्दा। साइकिल रखने की जगह नहीं, चोरी होने पर कम्पनी जिम्मेदार नहीं। "

प्रिसिजन स्टैम्पिंग वरकर : " प्लॉट 106 सैक्टर-24 स्थित फ़ैक्ट्री में दो शिफ्ट हैं— एक 8½ घण्टे की और दूसरी 15½ घण्टे की। कम्पनी द्वारा भर्ती को ओवर टाइम दुगुनी दर से और ठेकेदारों के जरिये रखों को सिंगल रेट से। दस-बारह ठेकेदारों के जरिये रखे 200 मजदूरों में हैल्पर्स को 8½ घण्टे के 100 रुपये और ऑपरेटरों को 8½ घण्टे रोज पर 30 दिन के 3500-3900 रुपये। "

एग्रो इंजिनियरिंग मजदूर : " 36 डी एल एफ इन्डस्ट्रीयल एरिया फेज-2 स्थित फ़ैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में **मारुति सुजुकी** और **एस्कोर्ट्स** का काम होता है। ओवर टाइम सिंगल रेट से। चार सौ मजदूरों में 200 की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और हैल्पर्स की तनखा 3500 रुपये। पावर प्रेसों पर हाथ कटते रहते हैं, प्रायवेट में इलाज। कैंटीन नहीं है— पहले जहाँ कैंटीन थी वहाँ अब गोदाम है। "

फ्लैश इलेक्ट्रोनिक्स श्रमिक : प्लॉट 8-9 सैक्टर-27 बी स्थित फ़ैक्ट्री में 1200 मजदूर दो शिफ्टों (सुबह 8 से 4½ साँय तथा साँय 4½ से अगली सुबह 5 बजे) में गियर, मैग्नेट, मीटर पार्ट्स बनाते हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट। **यामाहा, बजाज, हीरो होण्डा** का काम होता है और पिछले वर्ष तक नाम **रेनसन** था। सात सौ स्थाई मजदूरों की तनखा 6000-12000 रुपये और कैजुअल वरकरों में 250 हैल्पर्स को 8 की बजाय 10½ घण्टे ड्युटी पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन। हैल्पर्स की शिफ्ट सुबह 8 से साँय 6½ तथा साँय 6½ से अगली सुबह 5 तक। कैजुअल ऑपरेटरों को अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन— सितम्बर की तनखा 3840 रुपये दी, जुलाई से देय डी.ए. के 74 रुपये नहीं दिये हैं।

प्रत्येक कैजुअल वरकर से 6 महीने पर कार्ड ले लेते हैं— ड्युटी जारी रहती है पर तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे नहीं काटते। दो-ढाई महीने बाद फिर कार्ड पंच आरम्भ और ई.एस.आई. व पी.एफ. शुरू। मैनेजिंग डायरेक्टर वासुदेव रोज फ़ैक्ट्री आते हैं। कैंटीन नहीं है। "

एस टी एल ग्लोबल कामगार : " प्लॉट 4 सैक्टर-6 स्थित कपड़ा फ़ैक्ट्री में हैल्पर्स को 12 घण्टे रोज पर महीने के 3500 रुपये। ऑपरेटरों को 8 घण्टे रोज पर महीने के 3000-3500 रुपये। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से। फ़ैक्ट्री में कार्यरत 1500 मजदूरों में 150 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.। शौचालय मात्र 3, बिना दरवाजे के, बहुत गन्दे। "

क्रियेटिव डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग मिल श्रमिक : " 14/3 मथुरा रोड़ स्थित फ़ैक्ट्री में 800 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में **ओरियन्ट क्राफ्ट, इंडिया फैशन, पीएम्परो, हेमला** आदि के कपड़ों की रंगाई-छपाई करते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. 300 मजदूरों की ही। ठेकेदार के जरिये रखे 300 मजदूरों को 12 घण्टे के 150 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। दो सौ कैजुअल वरकरों को अकुशल श्रमिक के लिये सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन परन्तु ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं, ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम। कैंटीन में मात्र चाय— 4 रुपये प्रतिकप। शौचालय गन्दे। मजदूरों के चर्म रोग बहुत होते हैं। "

सर्वोदय अस्पताल कामगार : " सैक्टर-8 स्थित चिकित्सालय में 200 हैल्पर्स को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते— प्रतिदिन 10 घण्टे ड्युटी पर महीने के 3590 रुपये। "

एक्स एल ओर्थोमेड वरकर : " गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र में प्लासर इंडिया के पास स्थित फ़ैक्ट्री में हैल्पर्स की तनखा 3000 रुपये। महीने में 40-50 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. स्टाफ की, 40 मजदूरों में 1-2 की ही। "

ओसवाल इलेक्ट्रीकल्स मजदूर : " 48-49 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फ़ैक्ट्री में अधिकतर वरकर दो बड़े ठेकेदारों के जरिये रखे हैं और फिर 6 छोटे ठेकेदार हैं जिनके जरिये रखे 150 मजदूरों की तनखा 2500-2800 रुपये। इन 150 की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं..... 1.10.2009 को मात्र 8 के फार्म भरे। "

जिन्दल रैक्टिफायर श्रमिक : " प्लॉट 185 सैक्टर-24 स्थित फ़ैक्ट्री में 70 कैजुअल वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। जाँच वाले 3 अक्टूबर को आये तो सब कैजुअलों को कम्पनी ने फ़ैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। तीन-चार बार ऐसा हो चुका है। हैल्पर्स की तनखा 2700 रुपये। "

कटलर हैमर वरकर : " 20/4 मथुरा रोड़ स्थित फ़ैक्ट्री में जुलाई से देय डी.ए. ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को सितम्बर की तनखा के साथ दिया। लेकिन अक्टूबर में दी सितम्बर की तनखा से 74 रुपये काट लिये। पूछने पर बताया कि कम्पनी ने दो माह के बकाया डी.ए. की जगह

एक महीने के पैसे ठेकेदारों को दिये जबकि ठेकेदार दो माह के पैसे दे चुके थे— इसलिये एक महीने के पैसे वापस ले रहे हैं। इधर कैंटीन में दाल 3 की जगह 5 रुपये तथा सब्जी 4 की जगह 5 रुपये की कर दी हैं पर दोनों पहले की तरह ही घटिया स्तर की हैं। शौचालय बहुत गन्दे। "

बाकमैन मजदूर : " प्लॉट 10 सैक्टर-6 स्थित फ़ैक्ट्री में 200 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में गैस वाल्व बनाते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. 2-4 मजदूरों की ही। ओवर टाइम सिंगल रेट से। हैल्पर्स की तनखा 2800 रुपये, सितम्बर की 15 अक्टूबर को दी। फ़ैक्ट्री में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। " **टाटा रायरसन स्टील श्रमिक :** " 33 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फ़ैक्ट्री में स्टाफ वाले ही कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं और 300 मजदूर ठेकेदार के जरिये रखे हैं। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से। तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि काटते हैं। डेढ सौ मजदूरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। फण्ड का फार्म जमशेदपुर का। "

गुडईयर टायर कामगार : " मथुरा रोड़ स्थित फ़ैक्ट्री में बॉयलर विभाग में ठेकेदार के जरिये रखे 24 मजदूरों की तनखा 3500 रुपये। अन्य ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की तनखा 3840 रुपये, जुलाई से देय 74 रुपये नहीं दिये हैं। " **बोनी पोलीमर्स वरकर :** " प्लॉट 37 पी सैक्टर-6 स्थित फ़ैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और 36 घण्टे भी जबरन रोक लेते हैं। ओवर टाइम मात्र 13 रुपये प्रतिघण्टा। जुलाई से देय डी.ए. के 74 रुपये नहीं दिये हैं। "

सेन्डेन विकास मजदूर : " प्लॉट 65 सैक्टर-27 ए स्थित फ़ैक्ट्री में स्थाई मजदूरों ने दिवाली पर मिठाई तथा उपहार लेने से इनकार कर दिया..... यह कदम कम्पनी द्वारा की जा रही कठौतियों के विरोध में उठाया। "

गुड़गाँव.... (पेज तीन का शेष)
से आता है। नौकरी से निकालने पर किये काम के पैसे नहीं देते। "

ओरचिड ओवरसीज मजदूर : " 128 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फ़ैक्ट्री में काम करते 500 मजदूरों में 150 तनखा पर और बाकी पीस रेट पर। महीने में 70-80 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से भी कम, 15 रुपये प्रतिघण्टा। यहाँ **स्पिरिट, पी एस, नेक्ट** के कपड़ों की सिलाई होती है। "

जे.ए.के. ग्रुप मजदूर : " 566 उद्योग विहार फेज-4, 344 तथा 356 सैक्टर-37 (उद्योग विहार फेज-6) में कम्पनी की तीन फ़ैक्ट्रियों में 700 मजदूर सुबह 9 से रात 1 बजे तक प्रतिदिन पूरे वर्ष काम करते हैं। महीने में 200-215 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से और 20 घण्टे खा भी जाते हैं। नब्बे प्रतिशत पुरुष और दस प्रतिशत महिला मजदूर हैं। बीस प्रतिशत पुरुष मजदूरों की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। जाँच वाले आते हैं तब फ़ैक्ट्रियों से निकाल देते हैं और उस दिन की दिहाड़ी नहीं देते। महिला हैल्पर्स की तनखा 2600-2800 और पुरुष हैल्पर्स की 2800-3150 रुपये। "

गुड़गाँव में मजदूर

कोका कोला मजदूर : " 276-77 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में काम करते 250 मजदूरों में 150 की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। इन 150 में नये की तनखा 2500 और दस वर्ष पुरानों की 3500 रुपये। सुबह 6-7-8 से रात 8-9-10 बजे तक काम। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। "

ईस्टर्न मेडिकेट श्रमिक : "292 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 100 स्थाई मजदूर 8-8 घण्टे की और 300 कैजुअल वरकर 12-12 घण्टे की शिफ्टों में ड्युटी करते हैं। कैजुअलों को ओवर टाइम का भुगतान 15 रुपये प्रतिघण्टा और सितम्बर के पैसे आज 31 अक्टूबर तक नहीं दिये हैं। कैजुअलों को कम्पनी बोनस नहीं देती। तनखा से पता नहीं किस हिसाब से ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि काट कर कैजुअल वरकरों को हाथ में 3110 रुपये देते हैं। "

गौरव इन्टरनेशनल कामगार : "506 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में साहब लोग गाली बहुत देते हैं। तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि काटते हैं पर नौकरी से निकालने पर मजदूरों को फण्ड के पैसे नहीं मिलते - कम्पनी फण्ड का फार्म भरती ही नहीं। "

ऋद्धिमा ओवरसीज वरकर : "662 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में 150 मजदूर सैम्पलिंग, कटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग का कार्य करते हैं - सिलाई दूसरी फैक्ट्री में। डेढ सौ में मात्र तीन महिला मजदूरों की ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। हैल्परों की तनखा 2800-3600 और सैम्पलिंग टेलरों की 5000-5500 रुपये। सितम्बर का वेतन आज 31 अक्टूबर तक नहीं दिया है। तनखा माँगने पर जनरल मैनेजर ने गाली दे कर तीन मजदूरों को 28 अक्टूबर को नौकरी से निकाल दिया। महीने में 50-60 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से और जुलाई, अगस्त, सितम्बर के पैसे आज तक नहीं दिये हैं। पीने के पानी में कीड़े, मजदूर बीमार पड़ते हैं। शौचालय गन्दा। छोड़ने पर किये वरक के पैसे नहीं देते अथवा कम देते हैं - धमकाने के लिये पुलिस को पैसे देते हैं। "

राधनिक मजदूर : "215 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में महीने में 100 घण्टे ओवर टाइम - भुगतान से एक दिन पहले दुगुनी दर पर हस्ताक्षर करवाते हैं पर देते सिंगल रेट से भी कम हैं। कहते हैं, 'कोई पूछे तो दुगुनी दर बताना अन्यथा फैक्ट्री बन्द हो जायेगी.... हमारी यहाँ, ओखला, नोएडा में कई फैक्ट्रियाँ हैं इसलिये हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर तुम मजदूरों को फैक्ट्री बन्द होने से दिक्कत होगी'। फैक्ट्री में 500 से ज्यादा मजदूर हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. पुराने 50-60 के ही हैं.... कहते हैं, 'कोई पूछे तो कहना ई.एस.आई. व पी.एफ. के लिये 13 1/2 प्रतिशत पैसे तनखा से कटते हैं.... अगर काटेंगे तो तुम्हें मिलेंगे ही कितने?' रात दो बजे तक रोकते हैं तब कैन्टीन में ही खाने के लिये 18 रुपये - भोजन

ठीक नहीं और पेट भी नहीं भरता। फैक्ट्री गेट पर गार्डों के जरिये दादागिरी और पहलवान बुलाने की धमकी आम बात। "

धीर इन्टरनेशनल श्रमिक : "299 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में दो हजार के करीब मजदूर हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 10-15 सैम्पलिंग वालों के ही हैं। प्रोडक्शन और फिनिशिंग में किसी मजदूर की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। धागा काटने वालों की तनखा 2800-3000, अन्य हैल्परों की 3774 और सिलाई कारीगरों की 4050 रुपये। महीने में 200-300 रुपये की गड़बड़ करते हैं। वार्षिक बोनस देते ही नहीं। महीने में 100-125 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट। जाँच वाले 30 अक्टूबर को आये तब खूब सफाई.... 'पूछने पर कहना ओवर टाइम नहीं होता और होता है तो 2 घण्टे, पैसे दुगुनी दर से.... कहना डॉक्टर स्वास्थ्य की जाँच करने आता रहता है।' जबकि डॉक्टर ने कभी-भी फैक्ट्री में हमारी जाँच नहीं की है.... जाँच वालों को दिखाने के लिये बक्सों में दवाई रखी और उनके जाते ही हटा दी। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है। "

शान एक्सपोर्ट कामगार : "254 व 255 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्रियों में 1000 मजदूर हैं और इतने ही कम्पनी की 330 फेज-2 तथा 463 फेज-3 फैक्ट्रियों में हैं। स्टाफ ही कम्पनी ने स्वयं भर्ती किया है, सब मजदूर ठेकेदार के जरिये रखे हैं और ठेका बड़े साहब का ही है। सुबह 9 1/2 से रात 10 1/2 की ड्युटी रोज और रात 2 बजे तक रोक लेते हैं। महीने में 125 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। जुलाई से देय डी.ए. के 74 रुपये नहीं दिये हैं। तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि काटते हैं - ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते और छोड़ने पर फण्ड के पैसे नहीं मिलते.... इक्के-दुक्के का ही फार्म भरते हैं। गाली बहुत देते हैं - यह तो एक्सपोर्ट में नियम है। रात 10 1/2 तक रोटी के लिये 10 रुपये और रात 2 बजे तक रोकते हैं तब 20 रुपये। शौचालय कम, लाइन लग जाती है। कैन्टीन नहीं है। "

सरगम वरकर : "152-53 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 1/2 से अगली सुबह 5 तक काम करवाते हैं तब भी रोटी के लिये पैसे नहीं देते। महीने में 70 से 150 घण्टे ओवर टाइम पर कुछ दिन वापस भेज कर सब बराबर कर देते हैं और ओवर टाइम के पैसे देते ही नहीं। यहाँ एच एण्ड एम के कपड़े सिलते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं पर हर महीने 200-500 रुपये की गड़बड़ करते हैं। दिवाली पर 8.33% बोनस दिया उसमें भी 200-400 रुपये की गड़बड़ी की। जिन्हें निकाल देते हैं उन्हें बोनस देते ही नहीं। गाली देते हैं। शौचालय कम हैं और इन में पानी नहीं, कुण्डी नहीं, लाइन लग जाती है। "

ऋचा मजदूर : "239 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 11 की ड्युटी हर रोज। सिलाई कारीगरों व उनके हैल्परों को 2 घण्टे प्रतिदिन ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर

घातक बीज

★ भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नई प्रवृत्ति के घातक बैंगन बीज को स्वीकृति दे कर जीएम बीज कम्पनियों के लिये राहें खोल दी हैं। लेकिन व्यापक चिन्ता-विरोध को देखते हुये सरकार ने 31 दिसम्बर तक राय-एतराज माँगे हैं।

★ अति घातक परमाणु बिजली घरों के लिये आतुर भारत सरकार यूरेनियम के लिये हाथ-पैर मार रही है। इस सन्दर्भ में लोगों के भारी विरोध के बावजूद मेघालय में यूरेनियम के खनन की तैयारी की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। यूरेनियम और यूरेनियम के कचरे के वर्तमान तथा भविष्य में घातक प्रभावों को जानते खासी छात्रों ने व्यापक विरोध आरम्भ कर दिया है।

★ गुजरात में भावनगर जिले में परमाणु बिजलीघर बनाने का प्रशासन स्वागत कर रहा है.... और गाँवों के लोगों ने बेदखली, हवा-पानी-मिट्टी जहरीली कर दिये जाने, एटम बमों के फटने जैसे खतरों के दृष्टिगत परमाणु बिजलीघर लगाने का विरोध आरम्भ कर दिया है।

★ हरियाणा सरकार फतेहाबाद जिले में परमाणु बिजलीघर लगाने की स्वीकृति को बड़ी सफलता प्रचारित कर रही है... जबकि चार गाँवों के लोगों ने स्वीकृति से पहले से, चर्चा चली तब से वहाँ परमाणु बिजलीघर का विरोध शुरू किया हुआ है।

★ जयपुर में तेल में लगी आग.... ग्यारह भण्डार स्थलों से उठती लपटों-धूँये के डरावने दृश्य। प्रदूषण.... प्रदूषण.... विचारणीय बनता है दैनिक तेल की खपत से होता प्रदूषण। गति, वाहन, चमक-दमक का उत्पादन तथा उपभोग कितना कुछ दाँव पर लगा रहा है।

से और बाकी समय का सिंगल रेट से। तीन ठेकेदारों के जरिये रखे काज-बटन, घागे काटने, मोती-सितारे लगाने वाले मजदूरों को पूरे ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से और इन मजदूरों में किसी की भी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं है। यहाँ मुख्यतः गैप का माल बनता है। साहब गाली देते हैं। "

पोलीपैक श्रमिक : "194 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में जिन 50 मजदूरों की भर्ती कम्पनी ने स्वयं की है उन्हें वार्षिक बोनस देते हैं पर तीन ठेकेदारों के जरिये रखे तथा वर्षों से काम कर रहे 450 मजदूरों को बोनस नहीं देते। हैल्परों की तनखा 3500 रुपये। "

कुरुबॉक्स कामगार : "199 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में सितम्बर की तनखा आज 31 अक्टूबर तक नहीं दी है। महीने में 70-90 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान दुगुनी दर से पर अगस्त व सितम्बर के पैसे आज तक नहीं दिये हैं। यहाँ लक्की, डेविनस, फोसिल, सी के के चमड़े सामान बनते हैं। " (बाकी पेज दो पर)

कृष्णा लेबल वरकर : "162 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 8 की बजाय 9 1/2 घण्टे ड्युटी पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं। जुलाई से देय डी.ए. के 74 रुपये नहीं दिये हैं। भोजन के समय पानी नहीं रहता - टैंकर देर

रोहतक यूनिवर्सिटी

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मी : "सन् 2001 में ठेकेदार के जरिये यहाँ गार्ड रखना आरम्भ हुआ। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने के विरोध में गार्ड, माली, सफाई कर्मी 2002 में उपायुक्त के पास गये तो उन्होंने श्रम विभाग भेज दिया। विश्वविद्यालय में स्थाई कार्य के लिये ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की संख्या बढ़ती आई है और श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन होता है। विरोध में उपकुलपति कार्यालय पर 2005 में धरना-भूख हड़ताल, रोहतक से सांसद को ज्ञापन, मुख्य मन्त्री को ज्ञापन..... और विरोध को दबाने के लिये कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का सिलसिला। इस समय ठेकेदार के जरिये रखे 90 सुरक्षा कर्मियों में से मात्र 18 को डी.सी. रेट देते हैं जबकि बाकी 72 गार्डों को 12 घण्टे के 100 रुपये। गार्डों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। गार्ड आसपास के गाँवों के हैं..... विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्य में लगे मजदूर दूर से लाये गये हैं। ईट-रेत-सीमेन्ट ढोती महिला मजदूरों को कुली कहते हैं और दिन के 82 रुपये देते हैं। यही काम करते पुरुष मजदूरों को 92 रुपये। बड़ी संख्या में काम करते 14-15 वर्ष के लड़के-लड़कियों को 82 रुपये प्रतिदिन देते हैं। मिस्त्रियों की दिहाड़ी 115 और 135 रुपये है।"

गोरखपुर.....कुछ प्रश्न (पेज एक का शेष)

कर दिये अन्य कोई राह न देख कर मॉडर्न लेमिनेटर्स और मॉडर्न पैकेजिंग के मजदूरों ने सामुहिक गोफे दे दिये हैं और यह दोनों कारखाने नवम्बर-आरम्भ तक बन्द पड़े हैं। विकल्पहीनता..... [जानकारियाँ सत्यम, कात्यायनी; 'बिगुल' - 69 बाबा का पुरवा, पेंपर मिल रौड़, निशातगंज, लखनऊ - 226006; सयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा, एल आई जो -2, 414 विकास नगर, बरगदवा, गोरखपुर]

रिजल्ट-ट्रेड की, शिल्प संघ-ट्रेड यूनियन की संकीर्णता की जानकारी डेढ़ सौ वर्ष से है। मजदूरों के लिये शिल्प संघों-ट्रेड यूनियनों का नुकसानदायक-खतरनाक बनना आज से नब्बे वर्ष पूर्व व्यवहार में पता चला। ट्रेड की बजाय फैक्ट्री के आधार पर मजदूरों के संगठित होने को एक कारगर विकल्प समझा गया। इन्डस्ट्रियल यूनियन बनाई गई। लाइन सिस्टम के आधार पर उत्पादन में भारी वृद्धि के लिये इन्डस्ट्रियल यूनियन शीघ्र ही मजदूरों पर नियन्त्रण रखने का एक औजार बनी। यूनियन वाले और बिना यूनियन वाले मजदूरों के बीच वेतन-भत्तों में भारी भेद उत्पन्न हुये। अति अल्प संघर्षक यूनियन वाले डर और अकड़ के चक्रव्यूह में फँसे। बहुसंख्यक मजदूरों की स्थिति के बद से बदतर बनने में तीव्रता आई।

ऑटोमेशन और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के आगमन ने बहुत कम समय में फैक्ट्री में कार्य करना सीखना सम्भव बनाया। उत्पादन कार्य के लिये आवश्यक मजदूरों की संख्या में बहुत तेजी से कमी संग-संग आई। विश्व-भर में यूनियनवालों की संख्या काफी ज्यादा सिकुड़ी।

यहाँ फैक्ट्रियों में आमतौर पर स्थाई मजदूरों को ही यूनियन सदस्य बनाती हैं। और, इन बीस वर्षों में फैक्ट्रियों में स्थाई मजदूरों की संख्या शून्य से दस-पन्द्रह प्रतिशत के बीच आ गई है। पुरानी फैक्ट्रियाँ जो बन्द नहीं हुई और जहाँ बहुत ज्यादा छँटनी करने में कम्पनियाँ सफल नहीं हुई वे अपवाद मात्र हैं। आज यहाँ फैक्ट्रियों में अस्सी-नब्बे प्रतिशत मजदूरों का अस्थाई होना - कैजुअल वरकर होना, ठेकेदारों के जरिये रखे होना, वास्तविकता का मुखर पहलू है। किसानों और दस्तकारों की सामाजिक मौत और सामाजिक हत्या करोड़ों को मजदूरों की पाँतों में अधिकाधिक तेजी से धकेल रही है। एक बड़ी संख्या पैसों के लिये कुछ भी करने वालों की बनी है।

गुडगाँव में इन दस-पन्द्रह वर्षों में तेजी से नई-नई फैक्ट्रियाँ बनी हैं। इन फैक्ट्रियों में युवा मजदूरों की बहुतायत है। कहीं बहुत कम तो कहीं कुछ ज्यादा मजदूर स्थाई हैं। मजदूर होने पर जो पीड़ा होती है वह इन युवा स्थाई मजदूरों में भी उफन रही है। इन उबलते मजदूरों को चोटें मार कर नियन्त्रण में रखने लायक बनाने के लिये स्थापित यूनियन प्रयासरत हैं।

फैक्ट्रियों में जो अस्सी-नब्बे प्रतिशत मजदूर हैं। जो दो महीने यहाँ तो छह महीने वहाँ काम करते हैं। जिन्हें सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जाते। ऐसे मजदूर इन्डस्ट्रियल यूनियनों के खँचों से बाहर हैं..... नई समाज रचना के लिये कई प्रकार की बेड़ियों से यह मुक्त हैं।

गोरखपुर में नये संगठन के स्वरूपों, नये संघर्ष के तरीकों के सवाल दस्तक दे रहे हैं। गुडगाँव में होण्डा, सनबीम, रीको ऑटो के चर्चित मामलों में नहीं बल्कि डेल्टा में ठेकेदारों के जरिये रखे ढाड़ हजार मजदूरों द्वारा उठाये कदम; हीरो होण्डा की गुडगाँव स्थित स्पेयर पार्ट्स फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे 4500 मजदूरों द्वारा चाणचक्क काम बन्द करना; होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे तीन हजार मजदूरों द्वारा मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौते के खिलाफ काम बन्द करना; ईस्टर्न मेडिकेट में कैजुअल वरकरों द्वारा तनखा में देरी पर काम बन्द करना..... नई राहें खोजने-बनाने में मजदूर जुटे हैं।

इन हालात में हमारे सामने प्रश्न हैं: क्या-क्या नहीं करें? क्या-क्या करें? कैसे करें? ■

दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह अकुशल श्रमिक 3953 रुपये (8 घण्टे के 152 रु.) हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह अकुशल श्रमिक 3914 रुपये (8 घण्टे के 151 रुपये)

दिल्ली में मजदूर

पैको-कुन्दन-पी टी एम-मोटो मोटर्स मजदूर: "डी-31, डी-32, डी-33 ओखला फेज-1 और अलवर स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों को एक से दूसरी फैक्ट्री में भेजते रहते हैं। दिल्ली में अलवर से लाये मजदूरों की तनखा 3000 रुपये- कहते हैं कि राजस्थान में यही सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है। फैक्ट्रियों में मजदूरों को घुमाते रहते हैं पर बोनस अलग-अलग देते हैं, 8.33-18-20 प्रतिशत। **मारुति सुजकी** तथा निर्यात के लिये वाहनों के कारब्युरेटर व अन्य पुर्जे बनाते 400 मजदूरों में 300 की ही ई. एस.आई. है और पी.एफ. तो 200 की ही। पावर प्रेसों पर हाथ कटते रहते हैं। साहबों द्वारा गाली देना तो फैक्ट्रियों में फैशन बन गया है। पानी पीने लायक नहीं। नौकरी छोड़ने पर हिसाब किस्तों में, दो साल तक के चेक देते हैं।"

ऋचा ग्लोबल श्रमिक : "एक्स-62 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में अकुशल श्रमिक-हैल्पर को 8 घण्टे के 120 रुपये और कुशल श्रमिक-कारीगर को 8 घण्टे के 152 रुपये देते हैं पर हस्ताक्षर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन पर जबरन करवाते हैं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, बोनस नहीं। ड्युटी सुबह 9½ से रात 1 बजे की। ... इधर ऋचा ग्लोबल की ओखला स्थित फैक्ट्रियों में काम करते मजदूर एक यूनियन से जुड़े हैं और यूनियन के कहने पर ओवर टाइम पर रुकने से इनकार कर रखा है, साँय 6 बजे छुट्टी कर रहे हैं।"

वीयरवेल कामगार : "बी-134 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 650 मजदूर सुबह 9 से रात 9 तक रोज और महीने में 7-8 बार रात 1 बजे तक **मार्क स्पैन्सर, जारा, निक्किनेड, नेफनेफ बुटीक, ट्रुवर्थ्स** के लिये कपड़ों की सिलाई करते हैं। महीने में 100-125 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. उन 300 मजदूरों के ही जिनकी तनखा एटीएम से देते हैं। साढ़े-तीन सौ मजदूरों की ई. एस.आई. नहीं और फिनिशिंग विभाग के 100 मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं, 2400-2500 रुपये तनखा देते हैं।"

बसन्त इण्डिया वरकर : "जी-4, बी-1 एकस्टेन्शन, मोहन को-ऑप इन्डस्ट्रियल एस्टेट, बदरपुर स्थित फैक्ट्री में अगस्त और सितम्बर की तनखायें आज, 14 अक्टूबर तक नहीं दी हैं।"

सुपर एक्स इन्डस्ट्रीज मजदूर : "एफ-89/24 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 25 हैल्परों की तनखा 2000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। जो 25 मजदूर पुराने हैं वे ऑपरेटर हैं और उन्हें चेक से तनखा देते हैं पर अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन ही - ई. एस.आई. व पी.एफ. है। फैक्ट्री में निर्यात के लिये पाइप क्लैम्प बनते हैं पर इधर वर्ष-भर से मन्दी है इसलिये ओवर टाइम बन्द है। दो-तीन बार यूनियनों से जुड़े तो कुछ मजदूर नौकरी से निकाले गये और यूनियन वाले पैसे ले कर किनारा कर गये।"